E-mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/629/1007 भोपाल दिनांक 16/05/2025

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग भोपाल/भोपाल संभाग क्रमांक-02/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/ रीवा/नर्मदापुरम/सिवनी/मुरैना/खरगोन/मंदसोर।

विषय:- वाहन/परिवहन भत्तें के भुगतान किये जाने के बारे में।

संदर्भ:- म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 1/2/1/0009/2025-GAD-3, दिनांक 30 अप्रेल 2025

उल्लेखित विषयान्तर्गत म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 1/2/1/0009/2025-GAD-3, दिनांक 30 अप्रेल 2025 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को वाहन/परिवहन भत्तें की दरों को दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से पुनरीक्षण किया गया है। (ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न है)

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत आंचलिक कार्यालय/कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को संदर्भित ज्ञाप में उल्लेखित शर्तो के अधीन वाहन/परिवहन भत्ता भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(प्रवीण कुमार वर्मा)
उप संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/629/1008 भोपाल दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपि:-

उपसंचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

उप संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

uploading 06/05/2025

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/2/1/0009/2025-GAD-3, भोपाल, दिनांक .04.2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त संभाग आयुक्त,.
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषय: वाहन/परिवहन भत्ते की पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक।

संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रं. सी-2/1/2/3/2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012.

इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा इस नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं श्रेणी के शासकीय सेवकों (कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि सहित) को रू. 200/- (दो सौ रूपये) प्रतिमाह तथा निःशक्त कर्मचारियों को रू. 350/- (तीन सौ पचास) प्रतिमाह की दर से वाहन/परिवहन भत्ता उल्लेखित शर्तों के अध्ययाधीन स्वीकृत किया गया था।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा इन नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों (कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा सहित) को उपरोक्तानुसार उल्लेखित वाहन / परिवहन भत्ते की दर को पुनरीक्षित कर रूपये 384/- (तीन सौ चौरासी रूपये) प्रतिमाह तथा ऐसे निःशक्त कर्मचारियों को रूपये 671/- (छः सौ इकहत्तर रूपये) प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

3/ वाहन/परिवहन भत्ते की स्वीकृति से संबंधित अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।

... 2

13.05.25

4/ यह आदेश दिनांक 01.04.2025 (भुगतान माह मई, 2025) से प्रभावशील होगा।

5/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा प्राप्त मंत्रि-परिषद के आदेश के आयटम क्रमांक 04, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुक्रम में लिए गए निर्णय अनुसार जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय कटेसरिया)
उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक .04.2025

पृ.क्र. 1/2/1/0009/2025-GAD-3,

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
7. अवर सचिव (स्थापना), सा.प्र.विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

Digitally signed b
Ajay Katesaria
Date: 30-04-202
17:34:47